न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./59/2017/बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. बरजांगा पुत्र बांकाराम जाति जाट उम्र 76 वर्ष निवासी सरली तहसील व जिला बाड़मेर।	**बनाम**	1.जोगाराम पुत्र दुर्गाराम 2.जुगताराम पुत्र दुर्गाराम 3.पदमोंदेवी पत्नी दुर्गाराम जाति जाट निवासी सरली तहसील व जिला बाड़मेर। 4.तहसीलदार बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व वाद संख्या 32/2015 बअनवान बरजांगा बनाम जोगाराम वगैरा मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2017 के विरूद्ध पेश।

उपस्थिति

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री राऊराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से ।
3. रेस्पोडेंट संख्या 01 के वकील बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 02.04.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी एवं रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि खसरा संख्या 1074 रकबा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 1139/1075 रकबा 62.09 बीघा, खसरा संख्या 1141/1075 रकबा 01.05 बीघा कुल रकबा 63.19 बीघा मौजा सरली पटवार क्षेत्र सरली तहसील बाड़मेर में आया हुआ है जिसमें अपीलांट/वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा है। भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है। इसलिए अपीलांट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय इस आशय का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2016 को प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बाड़मेर से मंगवाया गया जिस पर तहसीलदार द्वारा अपने अधिकार हल्का पटवारी व आर आई को प्रदान कर मौके पर पक्षकारान के मध्य हुऐ बाहामी बंटवाड़े व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन तैयार नहीं किया गया तथा मौके की

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

स्थिति व कब्जा काश्त के विपरित विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना व अपीलांट/वादी से आपत्ति लिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित किया गया। जो निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन पस्ताव एकतरफा है जिसे कब्जे के प्रतिकूल बनाया गया एवं अपीलांट के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि व उनकी रहवासी ढाणी उतरदातागण के हिस्से में चली गई। विभाजन प्रस्ताव में सड़क के दोनों तरफ का हिस्सा उतरदातागण को दिया गया है तथा अपीलांट को सड़क से दूर अर्थात वादग्रस्त भूमि के सड़क से दूसरे छोर पर हिस्सा दिया गया है तथा अपीलांट को सड़क मार्ग से हमेशा के लिये वंचित कर दिया तथा सड़क के दोनों तरफ बेशकीमती भूमि उतरदातागण ने अपने हिस्से में रखते हुऐ अपीलांट को सड़क से दूर रखकर अपीलांट के हितों पर कुठाराघात किया गया है इसके बावजूद भी 10.05.2017 को डिक्री पारित कर दी गई जो कि न्यायोचित नहीं है। यह बंटवारा By Metes & Bounds के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 02 ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जाता है तो मुझे किसी प्रकार की कोई आपति नहीं हैं।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि **अपीलांट को सड़क से दूर अर्थात वादग्रस्त भूमि के सड़क से दूसरे छोर पर हिस्सा दिया गया है तथा अपीलांट को सड़क मार्ग से हमेशा के लिये वंचित कर दिया तथा सड़क के दोनों तरफ बेशकीमती भूमि उतरदातागण ने अपने हिस्से में रखते हुऐ अपीलांट को सड़क से दूर रखकर अपीलांट के हितों पर कुठाराघात किया गया है।** तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है जबकि तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। बंटवारा By Metes & Bounds के सिद्धान्त के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है

Scanned by CamScanner

जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर राजस्व वाद संख्या 32/2015 बअनवान बरजांगा बनाम जोगाराम वगै. में पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 10.05.2017 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स को विवादित आराजी में से गुजर रही गैर मुमकिन सड़क खसरा संख्या 1140/1075 (रकबा 1.160) पर समान चौड़ाई रखते हुए संपूर्ण रकबा का उभयपक्ष में आधा–आधा हिस्से का विभाजन प्रस्ताव By Metes & Bounds के सिद्धान्त के आधार पर प्राप्त कर पुनः निर्णय पारित करे।

2/4/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 02.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

2/4/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner